माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई–मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
☎ : कार्या– (0755) 2551650

क्रमांक / 3624 / प.स. / 2024 भोपाल दिनांक 24 / 12 / 2024

प्रति,

प्राचार्य
समस्त शासकीय संस्थाएँ
म.प्र.

विषय– कक्षा 11वीं / 12वीं में विषय संबंधी त्रुटि सुधार की सुविधा प्रदान करने संबंधी।
संदर्भः– मण्डल का आदेश क्रमांक 3479 / परीक्षा समन्वय / 2024, भोपाल दिनांक 25.06.2024

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2024–2025 के लिये परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका एवं ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के निर्देश प्रसारित किये गये है। मण्डल द्वारा जारी निर्देश पुस्तिका के बिन्दु क्रमांक 13 विषय / माध्यम / समूह का चयन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कक्षा 9वीं के आधार पर कक्षा 10वीं तथा कक्षा 11वीं के आधार पर कक्षा 12वीं में अर्थात छात्र ने कक्षा 9वीं अथवा कक्षा 11वीं में जो विषय का चयन किया गया है वही विषय कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं में ले सकेंगे।

विगत वर्ष की भांति अनेकों विद्यालयों / छात्रों से आवेदन प्राप्त हो रहे है कि, कक्षा 9वीं / 11वीं में उनके द्वारा जिन विषयों का चयन / अध्ययन कर परीक्षा दी गई है. संबंधित संस्था द्वारा कक्षा 9वीं / 11वीं के ऑनलाईन अंको की प्रविष्टि के समय त्रुटिपूर्ण अन्य विषय / संकाय की प्रविष्टी कर दी गई है, जिसके कारण कक्षा 10वीं / 12वीं के परीक्षा आवेदन–पत्र भरते समय अन्य विषय प्रदर्शित हो रहे है। संबंधित छात्रों द्वारा कक्षा 9वीं / 11वीं में अध्यनरत् विषयों के आधार पर ही कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं में विषय में सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जा रहे है। चूंकि कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं द्विवर्षीय पाठ्यक्रम होने के कारण कक्षा 9वीं / 10वीं अथवा कक्षा 11वीं / 12वीं में विषयों का चयन एक समान होना चाहिए। छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुये संस्था द्वारा ऑनलाईन प्रविष्टि में विषयों में की गई त्रुटि के सुधार हेतु दिनांक 31 दिसम्बर 2024 रुपये 500 /– प्रति विषय अर्थदण्ड के साथ विषयों में त्रुटि सुधार की ऑनलाईन सुविधा प्रदान की जाती है।

संबंधित संस्था प्राचार्य को त्रुटि सुधार के साथ एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल पर संबंधित छात्र की कक्षा 11वीं उत्तीर्ण की अंकसूची एवं इस आशय का घोषणा–पत्र (पत्र के साथ संलग्न है) अपलोड करना अनिवार्य होगा कि जिन छात्रों के विषयों में त्रुटि सुधार किया गया है, उन छात्रों ने कक्षा 11वीं में इन्हीं विषयों का अध्ययन किया गया है तथा संस्था द्वारा इन्हीं विषयों की अंकसूची छात्रों को जारी की गई है। यदि यह पाया जाता है कि किसी संस्था द्वारा तथ्यों को छुपाते हुये गलत तरीके विषयों में संशोधन किया गया है तो शासकीय विद्यालय होने की स्थिति में संबंधित संस्था प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल को लिखा जावेगा एवं अशासकीय विद्यालय होने की स्थिति में संबंधित विद्यालय की संबद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।

यहां यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ष कक्षा 9वीं एवं कक्षा 11वीं में अध्ययनरत् छात्रों के ऑनलाईन विषयों की प्रविष्टी सावधानी पूर्वक करे अन्यथा आगामी वर्ष से विषय संबंधी त्रुटि सुधार की सुविधा प्रदान नहीं की जावेगी एवं संबंधित विद्यालय / प्राचार्य के विरुद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जावेगी।

संलग्नः–घोषणा–पत्र।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश,भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक/3625/प.स./2024 भोपाल, दिनांक: 24 /12 /2024

प्रतिलिपि :—

1 सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,/आदिम जाति/अनु.जाति,कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

2 आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर, भोपाल।

3 आयुक्त आदिवासी विकास सतपुड़ा भवन भोपाल।
आयुक्त अनुसूचित जाति विकास, श्यामला हिल्स, मध्यप्रदेश भोपाल।

4 समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

5 समस्त संभागीय उप आयुक्त/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग,म.प्र.।

6 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।

7 आंचलिक/समस्त संभागीय अधिकारी, मा.शि.मण्डल, मध्यप्रदेश।

8 समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।

9 समस्त प्रथम/द्वितीय श्रेणी अधिकारी, मा.शि.मण्डल, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश,भोपाल

D:\SAMANVAY\exam\exam 2025\letter2025.doc

घोषणा पत्र

मैं...एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि छात्र........................ पिता...आवेदन क्रमांक...कक्षा 11वी में ....संकाय में अध्ययनरत था। कक्षा 11वी के आनलाईन आवेदन में त्रुटिवश ....संकाय दर्ज हो गया था।

मेरे द्वारा छात्र के कक्षा 12वी के परीक्षा आवेदन पत्र में विषय/संकाय संबंधी जो संशोधन किया गया है, वह छात्र द्वारा कक्षा 11वी में चयनिय विषय/संकाय अनुसार ही है, तथा किए गए संशोधन का संपूर्ण उत्तरदायित्व मेरा है।

प्राचार्य का नाम
पदमुद्रा
संस्था क्र..................